

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Faridabad Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

28/02/2022 14:00 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):

Date from (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):

28/02/2022

Time (समय): 13:34

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

006

Date and Time

(दिनांक और समय):

28/02/2022 13:34

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मनोरम राणा

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व श्री छोदू राम राणा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1977

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	मोनो- 476 सैक्टर-17, फरीदाबाद, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	मोनो- 476 सैक्टर-17, फरीदाबाद, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री राजबीर सिंह निरीक्षक			1. वजन एवं नापतोल ब्रांच NIT5 FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	60,000 रुपये रिश्त मांगने बारे	.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

श्रीमान ए0एस0पी0 साहब,
विजिलैन्स फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं मनोरम राणा पुत्र स्व0 छोदू राम राणा निवासी मकान नं0 476 सैक्टर 17 फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और नहर पार वजीरपुर रोड फरीदाबाद में मेरी पत्नी के नाम पर एक सोनू इन्टरप्राइजिज नाम से एक फर्म हूँ जिसमें

इलेक्ट्रॉनिक आईटम बनाये जाते हैं।

मेरे दोस्त श्री विरेन्द्र गुप्ता निवासी नहर पार फरीदाबाद की ईको गैस ईम्पैक प्रा0लि0 नाम से एक फर्म हैं जिसमें वो श्री-व्हीलर टैम्पो में जो मीटर लगते हैं, उन्हें बनाते हैं जिसके लिये नियमानुसार खादय एवं आपूर्ति विभाग के अधीन वजन एवं नापतोल ब्रान्च से डिलर लाईसैन्स, मैनुफैक्चरिंग लाईसैन्स व रिपेयरिंग लाईसैन्स लेने पड़ते हैं जिसके लिये मैं और मेरा दोस्त विरेन्द्र गुप्ता ने लगभग फरवरी 2021 में उपरोक्त लाईसैन्सों के लिये विभाग में आवेदन किया।

जहां उक्त कार्य श्री राजबीर सिंह निरीक्षक, वजन एवं नापतोल ब्रान्च एन0आई0टी 5 फरीदाबाद को करना था जिसके लिये हम दोनों उनसे मिले जिस पर उन्होंने हमें लाईसैन्स जारी करने की एवज में हमसे 20 हजार सरकारी फीस व 1,25,000 रुपये रिश्त के मांगे थे जो हमारी काफी मिन्नतों के बाद उसने 20 हजार सरकारी फीस व 1,20,000 रुपये रिश्त कुल 1,40,000 रुपये में बात हुई, जिस पर हमने सरकारी फीस जमा करा दी। और उसके बाद मार्च 2021 में 1,00,000 रुपये व जून 2021 में 20,000 रुपये कुल 1,20,000 रुपये रिश्त के रूप में हमारे ना चाहते हुये भी उसे देने पड़े।

अब नियमानुसार लाईसैन्स का प्रति वर्ष नवीनीकरण होना होता है, जिसके लिये अब हम दोबारा शुक्रवार दिनांक 25.02.2022 को श्री राजबीर सिंह निरीक्षक से मिले जिस पर उन्होंने कहा कि आपका रिपेयरिंग का लाईसैन्स मेरे पास आ गया था उसकी एवज में 15,000 रुपये रिश्त मांग कर रहा है।

और हमने 200 मीटरों की बिक्री पर्ची विभाग से सरकारी फीस अदा करने के बाद कटवा रखी है, अब निरीक्षक राजबीर कह रहा है कि मैं तुम्हारी 500 मीटरों की बिक्री पर्ची हर महीने काटूंगा, जिस पर हमने कहा कि अभी हमारे इतने मीटर सैल नहीं हो रहे हैं, उस पर उसने इसकी एवज में अब 10,000 रुपये की रिश्त की मांग कर रहा है।

इसके अलावा वह अब मेरे दोस्त विरेन्द्र गुप्ता की फर्म के तीनों लाईसैन्सों का जनवरी 2022 में नवीकरण किया था जिसके लिये 50,000 रुपये की रिश्त की मांग कर रहा है, और कह रहा है कि नहीं दिये तो लाईसैन्स कैन्सल कर दूंगा। मेरे काफी मिन्नतों के बाद वह लाईसैन्सों के नवीकरण के लिये 35,000 रुपये रिश्त से कम नहीं हो रहा है। जो अब वह हमसे कुल 60,000 रुपये रिश्त की मांग कर रहा है।

मैं और मेरा दोस्त विरेन्द्र गुप्ता उसे ओर रिश्त नहीं देना चाहते हैं, अगर हम उसे रिश्त रिश्त नहीं देंगे तो हमें डर है कि वह मेरे दोस्त के लाईसैन्सों का नवीनीकरण कैन्सल कर देगा और जबरदस्ती हर महीने 500 मीटरों की बिक्री की स्टैम्पिंग की पर्ची काटेगा, हर मीटर पर 100 रुपये सरकारी फीस व 100 रुपये रिश्त की मांग कर रहा है।

राजबीर निरीक्षक ने रिश्त के 60,000 रुपये देने का आज का समय निर्धारित है और वह रिश्त मुझसे या मेरे दोस्त विरेन्द्र गुप्ता में से किसी से भी ले लेगा जो मेरा दोस्त विरेन्द्र गुप्ता की तबियत खराब रहती है इसलिये मुझे मेरे दोस्त ने आँथराईज किया हुआ है। जो मेरी व मेरे दोस्त की निरीक्षक राजबीर सिंह से कोई जाति दुष्मनी या पैसे का कोई निजी लेन-देन नहीं है। मेरी व निरीक्षक राजबीर सिंह की हुई रिश्त के सम्बन्ध में बातचीत मैंने रिकार्ड कर ली है जिसे मैं बाद में पैनड्राइव में डलवा कर आपको प्रस्तुत कर दूंगा। कृप्या करके उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

Manoram

मनोरम

राणा पुत्र स्व0 छोदू राम राणा

निवासी

मकान नं0 476 सैक्टर 17

फरीदाबाद। मो0नं0- 9891925554

कार्यवाही पुलिस:-आज मैं अपने प्रवाचक HC जगेश कुमार के साथ हाजिर कार्यालय हू कि शिकायत कर्ता मनोरम राणा उपरोक्त ने मेरे से कार्यालय में मिलकर कम्प्यूटर से लिखित एक शिकायत पेश कि है शिकायत को पढकर मैं आश्वस्त हुआ और उच्च अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी जो शिकायत के आधार पर श्री राजबीर सिंह निरीक्षक, वजन एवम नापतोल NIT 5 के खिलाफ धारा 7 P.C ACT का जुर्म पाये जाने पर शिकायत अभियोग अंकित करने के लिए MHC थाना SVB के हवाले कि गई और उसे हिदायत दी कि अभियोग अंकित करने के बाद स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल सिपाही के जरिये ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बालान के समय पर पहुंचाये व मुझे भी अभियोग नम्बर से सूचित करे। और उसके बाद मेरे द्वारा एक रैडिंग पार्टी तैयार कि गई जिसमें HC जगेश कुमार, HC सन्दीप, HC चणजीत व EHC यशप्रताप

नियुक्त किये गये तथा रैड में दो प्राईवेट गाडी न0 HR51BJ6793 तथा HR51CC1923 साथ में ली गई तहसीली बैग व आवश्यक सामान भी साथ लिया गया अब मैं अपनी रैडिंग टीम व शिकायत कर्ता के साथ डियूटी मजिस्ट्रेट व छाया गवाहा नियुक्त कराने के लिए उपायुक्त कार्यालय का रवाना होता हूँ। अज:- SVB कार्यालय FBD Anil Kumar अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो0 मण्डल फरीदाबाद दिनांक 28.02.2022 At.12.15 PM. अज थाना - हस्ब आमद तहरीर बाला पर मुकदमा नम्बर- 08 दिनांक 28.02.2022 U/S 7 PC ACT PS SVB फरीदाबाद दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल EHC उधम सिंह न0 698/पलवल के की जाकर सम्बन्धित अफसरान बाला वा ईलाका मजिस्ट्रेट की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा EHC के की जाकर निज्द ASP अनिल कुमार बर मौका भेजी जा रही है। नोट मुकदमा हजा INSP राकेश कुमार की हाजरी में दर्ज किया गया

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Anil Kumar Rank (पद): DCP (Deputy Commissioner of Police)
No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Abhishek Jorwal
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

